# पेसा कानून के तहत गाँव विकास नियोजन

## विलेज प्रोफाइल

# खापरडा

ग्राम पंचायत - मांडवा

ब्लॉक/पंचायत समिति - दोवड़ा

तहसील एवं जिला - डूंगरपुर, राजस्थान

पीस

**गाँव का इतिहास** - खापरडा गाँव एक पुराना गांव है। करीब 150 साल पहले गाँव राज दरबार के अधीन हुआ करता था और इसकी जमीन चक राजदानी में आती थी इसलिए इस गांव को खापरडा चक के नाम से भी जाना जाता है। खापरडा गाँव के पूर्वजों के अनुसार पुराने समय में यहाँ रोत उपजाति के आदिवासी रहते थे। गाँव में खापा का खेत था और लोग एक खालसे(एक तरफ; अलग-थलग) में रहते थे इसलिए गाँव का नाम खापरडा पड़ गया। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि किसी समय एक आदमी खपरैल की छत से गिर गया था। इसलिए गाँव का नाम खापरडा पड़ गया।

**गाँव का एक परिचय** - खापरडा गाँव दोवड़ा ब्लॉक की ग्राम पंचायत मांडवा का एक राजस्व गाँव है जो जिला मुख्यालय डूंगरपुर की सीमा से सटा हुआ गाँव है। खापरडा गांव में लगभग 245 घर हैं और आबादी लगभग 1400 है। खापरडा में फलों की संख्या 5 है जो निम्नवत हैं -

1. खापरडा चक (55 घर)
2. गमेती फला(20 घर)
3. निचला दरा (45 घर)
4. उपला दरा (40 घर)
5. मर महुड़ी (95 घर)

गांव में शिलालेख 20 साल पहले हुआ था। गांव में पुराना और ऊंचा शिलालेख है। खापरडा में दूसरी बार गांव सभा का गठन और शिलालेख 7 अक्टूबर 2015 को हुआ था। इसलिए गांव सभा प्रत्येक माह की 7 तारीख को होती है और दो समितियां भी बनी हुई है शराब बंदी पर भी अभी समिति काम कर रही है पेसा कानून की जानकारी गांव के अधिकतर लोगों को है। गाँव की फसल मक्का, उड़द, चावल, गेहूं, सरसों और चना है। खापरडा गांव में राशन की दुकान नहीं है। गाँव की राशन की दुकान मांडवा में है। गांव में आदिवासियों की उप जातियां रोत, बारिया, कटारा, कलासुआ, हड़ात और खराड़ी हैं। अनुसूचित जाति में कनिपाव उपजाति के परिवार निवास करते हैं। अन्य समाज में कलाल, कुम्हार, राजपूत, मोरपटेल और जैन समाज के लोग रहते हैं, एक ब्राह्मण परिवार, एक कुंजड़ा और एक मुसलमान परिवार भी गाँव में रहता है। गाँव में बिजली की सुविधा करीब 80 घरों में ही है। गाँव का नजदीकी उप-स्वास्थ्य केंद्र, पशु चिकित्सालय, राशन दुकान ओर पोस्ट ऑफिस मांडवा में 3 किलोमीटर दूर हैं। पुलिस थाना और कॉलेज डूंगरपुर में है। चक राजदानी भूमि का प्रकरण न्यायालय में चल रहा है कुछ लोगों को भू अधिकार पत्र मिले भी लेकिन अधिकांश को अधिकार पत्र नहीं मिला है। गाँव में एक मराई माता जी का मंदिर है।

**आवागमन की स्थिति** - डूंगरपुर से खापरडा गांव तक पक्की सड़क है। डूंगरपुर से गाँव में जाने के लिए ऑटो मिलते हैं लेकिन वे पूरा(ओवरलोड) भरने पर ही चलते हैं। 7-8 लोगों के बैठने की क्षमता वाले वाहन में 15-20 लोगों को ठूंस-ठूंस कर भेड़ बकरियों की तरह बिठाते हैं। सवारियों को ऑटो की छत पर और

खड़े-खड़े भी जाना पड़ता है। कई बार घंटे भर इंतजार करने के बजाय लोग पैदल जाना ही पसंद करते हैं और करीब 1 घंटे में गाँव पहुंच जाते हैं। गाँव में करीब 8 सी.सी. सड़कें हैं। बाकी सारे रास्ते कच्चे है।

**स्वास्थ्य एवं शिक्षा की स्थिति -** खापरडा गाँव में आंगनबाड़ी की संख्या दो है। जिसमें से एक आंगनबाड़ी स्कूल परिसर में है और एक आंगनबाड़ी फूटा तालाब के पास में है। गाँव में एक उच्च प्राथमिक स्कूल है उसमें लगभग 200 बच्चे पढ़ते हैं ओर अध्यापकों की संख्या 5 है। स्कूल के कमरों की छत से बरसात में पानी टपकता था जिसके लिए रिपेयरिंग करवाई है। पढ़ाने के लिए अध्यापकों की कमी होने के कारण शिक्षा प्रभावित हो रही है। बच्चों को उनकी कक्षा स्तर का ज्ञान नहीं है। स्कूल में एक आर. ओ. वाटर प्यूरीफायर लगा हुआ है। स्नातक के लिए डूंगरपुर जाना पड़ता है। विद्यार्थी जाना आना ऑटो से करते हैं।

गाँव में इलाज की व्यवस्था हेतु कोई उप-स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। नजदीकी उप स्वास्थ्य केंद्र मांडवा में(3 किलोमीटर दूर) है वहां पर एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता है लेकिन वहां टीकाकरण और प्रसव पूर्व सेवाओं के अतिरिक्त अन्य कोई इलाज नहीं होता है। इसलिए इलाज के लिए डूंगरपुर ही जाते हैं। मरीजों के लिए कभी-कभी 108 सुविधा भी मिलती है अन्यथा उनको निजी साधन से अस्पताल जाना पड़ता है। गांव में पशु चिकित्सालय नहीं है; निकटतम पशु चिकित्सालय मांडवा में है। लेकिन वहां पशु चिकित्सालय में लोग पशुओं का इलाज करवाने नहीं जाते हैं और चिकित्सक के भी समय नहीं मिलता है इसलिए लगभग पशु चिकित्सालय बंद ही रहता है।

**गाँव की समस्याएं -**

**आवागमन की कमी -** खापरडा से डूंगरपुर आने-जाने के लिए ऑटो से जाया जा सकता है। लेकिन वह वाहन मालिक की मर्जी से लंबे इंतजार के बाद पूरी भरने पर चलती है। सामान्यतः घंटों लंबा इंतजार करना पड़ता है। ऑटो पूरा(ओवरलोड) भरने पर ही चलते हैं। बहुत बार घंटे भर इंतजार करने के बजाय लोग पैदल जाना ही पसंद करते हैं और करीब 1 घंटे में खापरडा पहुंच जाते हैं। गाँव में सारे रास्ते कच्चे और उबड़-खाबड़ रास्ते है और ज्यादातर लोगों के घरों तक आने-जाने के लिए पगडण्डी है। वाहनों को उबड़-खाबड़ जमीन होने और रोड़ नहीं होने से गाँव के अंदर तक आने-जाने में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। गाँव में रास्ते के अभाव से सबसे ज्यादा परेशानी बीमार, बूढ़े और बच्चों को होती है। बीमार लोगों को अपने घरों से गाँव की सड़क तक लाने के लिए चारपाई अथवा झोली में लिटा कर लाना पड़ता है।

**भूमि एवं जल प्रबंधन की कमी -** गांव की भूमि चक राजदानी भूमि के अंतर्गत आती है और इस पर न्यायालय में एक मुकदमा चल रहा है। कुछ लोगों को भू अधिकार पत्र मिले भी हैं। गाँव में समतल जमीन बहुत कम है। पहाड़ियों की घाटी में कुछ ही समतल जमीन है। वह भी कुछ लोगों के पास है

बाकी लोगों के पास पहाड़ों की ढलानें, उबड़-खाबड़ तथा पथरीली जमीन है। गाँव के सारे पहाड़ खाली पड़े है कहीं-कहीं बबूल और सागवान के पेड़ हैं। गाँव के किसानों में वृक्षारोपण के प्रति भी भय व्याप्त हैं। वह समझते हैं कि जिस तरह से सरकार ने जंगल पर वन विभाग का कब्जा करा दिया है। उसी तरह अगर हम वृक्षारोपण करेंगे तो हमारी जमीन को भी वन विभाग कब्जे में कर लेगा जिसके चलते वृक्षारोपण के प्रति उनकी उदासीनता है। दिसम्बर बाद गाँव में लगभग सभी नाले सूख जाते है। गाँव में गर्मियों में पानी का संकट बढ़ जाता है। पीने के पानी को दूर-दूर से सिर पर ढो कर पैदल लाना पड़ता है। गाँव का भूजल-स्तर लगातार नीचे जा रहा है। गांव में करीब 60 कुँए और करीब 100 निजी बोरवेल हैं लेकिन उनमें से मात्र 3 कुओं और 10 बोरवेल में ही पानी है। बाकी सब गिरते भू जलस्तर के कारण में सूख जाते हैं। गर्मियों में उन बोरवेल में भी पानी कम हो जाता है। मार्च के बाद अधिकतर कुएं और हैंडपंप सूख जाते हैं। गांव के अधिकतर हैंडपंप और बोरवेल का पानी फ्लोराइड से दूषित है। गांव में करीब 32 हैंडपंप हैं लेकिन उनमें से 5 बंद है।

**कृषि एवं रोजगार की स्थिति -** गाँव में कृषि के लायक भूमि या तो बहुत कम है या किसी के पास है भी तो वह पहाड़ों की घाटी में है। बाकी लोगों के पास पहाड़ों की ढलान वाली, उबड़-खाबड़ पथरीली खेती है। जिन लोगों के पास निजी बोरवेल है वह लोग अपनी समतल जमीन में धान और गेहूं पैदा करते हैं। बाकी लोग केवल बरसात में होने वाली फसल पर ही निर्भर करते हैं। सूखे की स्थिति में उनकी खेती से कोई उपज नहीं मिल पाती है। धान, गेहूं, मक्का, सरसों, चना और उड़द उनकी मुख्य फसल है। जिनके पास समतल जमीन है और वह ही धान, गेहूं और चना पैदा कर पाते हैं तो उनको 4 से 6 महीने खाने भर का अनाज हो जाता है। बाकी लोग 2 से 4 महीने ही खाने भर का अनाज पैदा कर पाते हैं। वह भी प्रकृति के भरोसे ही पैदा होता है। अपनी स्वयं की खेती के अलावा मनरेगा में मजदूरी ही मात्र गाँव में रोजगार का साधन है। खेती भी इतनी नहीं है कि वह पूरे परिवार का भरण पोषण कर सके। मनरेगा में मजदूरी की दशा खेती से भी बदतर है। पूरे वर्ष में साठ से सत्तर दिन काम और सत्तर से नब्बे रु. रोज की मजदूरी मिलती है। नरेगा में व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण उनको ना तो सौ दिन पूरे काम मिलता है और ना ही पूरी मजदूरी मिल पाती है। यह मनरेगा भी उनके परिवार के भरण पोषण के लिए रोजगार का साधन नहीं बन सका है। बदहाली और भुखमरी से बचने के लिए गाँव के युवा जिले के नजदीक के शहर या बाजार में दैनिक मजदूरी के लिए जाते हैं। अगर वहां उनको कोई काम मिलता है तो ठीक नहीं तो बिना काम वह वापस घर चले आते हैं और फिर दूसरे दिन उसी मजदूर मंडी में पहुंच जाते हैं। जिले के निकट के शहरों में काम नहीं मिलने से लोग गुजरात के शहरों में मजदूरी करने जाते हैं। जहां वह ढाई सौ से तीन सौ रु. की दैनिक मजदूरी पर काम करके किसी तरह अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं।

**पशुपालन हेतु चारे व चरागाह की कमी** - गाँव में लोग खेती के साथ साथ गाय, भैंस, बैल तथा बकरी भी पालते हैं। पशुओं के लिए चारा गाँव के लोगों के पास मार्च तक खत्म हो जाता है। मार्च के बाद लोगों को चारा खरीद कर खिलाना पड़ता है। बरसात होने पर जब घास उगती है तब जाकर उनको चारा खरीदने से राहत मिलती है। चारे के अभाव में उनके पशु गर्मियों में बहुत कमजोर हो जाते हैं। अच्छी नस्ल न होने और पौष्टिक चारे की कमी के कारण गाय एक से डेढ़ लीटर और भैंस दो से ढाई लीटर दूध देती है। गाँव के आधे चरागाह पर लोगों का कब्जा है और बचे हुए चरागाह की व्यवस्था भी ठीक नहीं है। उसमें चारा प्रकृति के भरोसे ही पैदा होता है। गाँव में जंगल की जमीन में कटीले बबूल और झाड़ियां होने से चारा कम ही मिल पाता है। गर्मियों के दिनों में पहाड़ियों पर घास होती ही नहीं है। पशुओं के चारे और अच्छी नस्ल के पशुओं की व्यवस्था गाँव की पहाड़ियों और बेकार पड़ी जमीन से और सरकारी विभागों के सहयोग से की जा सकती है। इसके लिए गाँव के लोगों को सामूहिक रूप से बैठकर अपनी सहमति से कृषि और पशुपालन विभाग की मदद से चारे और देसी की जगह अच्छी नस्ल के पशुओं की समस्या का समाधान किया जा सकता है और पशुपालन से लोगों के आय के साधन बढ़ाए जा सकते हैं।

**आजीविका के साधनों की कमी -** गाँव में खेती और मनरेगा में मजदूरी करने के अलावा लोगों को गाँव में अन्य कोई भी काम नहीं मिलता है। एक तो कृषि-जमीन की कमी दूसरे पूरे वर्ष भर एक ही फसल होने से उनको 2 से 6 महीने खाने भर का ही अनाज पैदा होता है। सरकारी राशन की दुकान से प्रति व्यक्ति प्रति महीने मात्र 5 किलो गेहूं के आलावा कुछ भी नहीं मिलता है। यह सब उनके परिवार के साल भर के भरण-पोषण के लिए पर्याप्त नहीं होता है। भोजन के अलावा अन्य जरूरतों को पूरा करने के लिए लोग निकट के बाजारों या डूंगरपुर की मजदूर मंडी में काम की तलाश में जाते हैं। काम अगर मिल गया तो ठीक नहीं तो खाली हाथ घर जाना पड़ता है। महीने भर में उन लोगों को यहां 15 से 20 दिन ही काम मिल पाता है। मनरेगा में मजदूरी भी 60-70 दिन ही मिलती है और मजदूरी भी सौ रुपए से कम ही मिलती है। इसलिए गाँव के ज्यादातर युवा दूसरे शहरों जैसे डूंगरपुर, बांसवाड़ा, रतलाम, बड़ौदा और अहमदाबाद आदि में मजदूरी की तलाश में चले जाते हैं। वहां भी उनको मुश्किल से ढाई सौ से तीन सौ रु. तक की दैनिक मजदूरी पर काम करना पड़ता है। किसी तरह से लोग अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। गाँव में करीब दो लोग सरकारी हैं जिनमें से एक खनन विभाग में और एक भारतीय रेलवे में है। जो लोग पढ़े लिखे और सरकारी में काम करते हैं। उनकी स्थिति थोड़ी अच्छी है बाकी लोग अशिक्षा और गरीबी के कारण बदहाली में अपना जीवन जीने के लिए अभिशप्त हैं।

**गाँव में उपलब्ध संसाधनों की हालत और संभावनाएं -**

| संसाधन | हालत | संभावनाएं |
|---|---|---|
| **जल**<br>तालाब - खुमान सागर<br>एनिकट - फूटा तालाब<br>नाले - 3<br>कुआं - 60<br>बोरवेल - 100<br>हैंड पंप - 32 | गाँव में एक खुमान सागर तालाब है। जिससे तीन नाले निकलते है जिसमें बरसात में ही पानी रुकता है। बरसात के बाद दिसम्बर माह तक गाँव में कुछ दूरी तक नालों में पानी रहता है। वह भी दिसम्बर के बाद खत्म हो जाता है। गाँव में एक तालाब, एक एनिकट, तीन नाले और 60 कुए है पर सब में गर्मी में पानी सूख जाता है। गाँव के करीब 100 लोगों ने अपने निजी बोरवेल करवा रखे है जलस्तर नीचे चले जाने के कारण उनमें से 10 में ही पानी है। गाँव में 32 हैण्ड पम्प है लेकिन उनमें से 5 बंद है। सभी हैंडपंप में फ्लोराइड तथा आयरन पाया जाता है। | गाँव में नाले पर बने एनीकट की मरम्मत करके और योजनाबद्ध तरीके से नए एनिकट बनाकर नाले के पानी को पूरे वर्ष तक रोका जा सकता है। गाँव के चारों तालाब का गहरीकरण और मरम्मत करके तालाब में भी पूरे वर्ष तक पानी रोका जा सकता है। नाले और तालाब में पूरे वर्ष पानी रुकने से गाँव के अधिकतर लोगों के सिंचाई की समुचित व्यवस्था की जा सकती है और गिरते भूजल स्तर को रोका जा सकता है। भूजल स्तर ऊंचा होने से कुओं में भी वर्ष भर पानी रहने से पीने के पानी और सिंचाई की संभावना बढ़ जाएगी। पुराने कुओं की मरम्मत करके अशुद्ध पीने के पानी से मुक्ति भी पाई जा सकती है। हैंडपंप की मरम्मत करके लोगों को गर्मियों में पानी के संकट से छुटकारा दिलाया जा सकता है और ट्यूबवेल से पानी निकालने पर गाँव सभा को निर्णय करना होगा। पानी के संकट से छुटकारा पाने के लिए गाँव सभा से पंचवर्षीय योजना तैयार करवाकर इस पर तुरंत अमल करने की जरूरत है। |
| **जमीन**<br>कृषि भूमि<br>बिला नाम भूमि<br>चरागाह<br>जंगल | गाँव की थोड़ी ही जमीन समतल है बाकी पहाड़ी ढलानवाली, उबड़-खाबड़, पथरीली है। समतल जमीन कुछ ही उपजाऊ है। बेनामी जमीन पर भी लोगों का कब्जा है। समतल भूमि ही सिंचित है। बाकी जमीन | गाँव में जितनी जमीन है उसके आधी जमीन पर खेती होती है और विला नाम भूमि तथा आधे चरागाह पर भी खेती की जाती है। गाँव की ज्यादातर जमीन पहाड़ और पथरीली तथा उबड़-खाबड़ होने से खेती में |

| | | |
|---|---|---|
| | असिंचित है। असिंचित भूमि पर बरसात में होने वाली फसल ही पैदा होती है। गांव का जंगल खत्म हो चुका है और उसे फिर से पुनर्जीवित करने की जरूरत है। | उत्पादन बहुत कम होता है खेती, वृक्षारोपण, मछलीपालन की बेहतर योजना और प्रबंधन से गाँव के लोगों की आय बढाई जा सकती है। जो जमीन सिंचित है उस पर खेती करने तथा संपूर्ण असिंचित जमीन पर बागवानी करने से गाँव के लोगों की आय के स्रोत बढ़ाए जा सकते हैं। चारागाह की भूमि का बेहतर प्रबंधन करने और उन्नत नस्ल के दुधारू जानवर पालने की बेहतर योजना से लोग दूध के व्यवसाय को अपनी आजीविका का साधन बना सकते हैं। जंगल को पुनर्जीवित करके उससे लघु वन उपज भी ले सकते हैं। जिससे गाँव के लोगों की आय का स्रोत को बढ़ाया जा सकता है। गाँव तक नदी, नाले और तालाब में पानी रोकने की व्यवस्था करके सिंचाई की भी व्यवस्था की जा सकती है। यह सब करने के लिए गाँव के लोगों को जागरूकता और सामूहिक भावना की बेहद जरूरत है। अगर योजनाबद्ध तरीके से पानी रोकने<br>खेती/बागवानी/पशुपालन/मछली पालन/छोटे व्यवसाय के लिए लोग सोचना और समझना शुरू करें तो गाँव से नौजवानों के पलायन को रोका जा सकता है और गाँव में ही रोजगार के साधन उपलब्ध कराए जा सकते हैं। |

**गाँव सभा द्वारा चिह्नित समस्याएं -**

| क्र.सं. | समस्याएं | सार्वजनिक / व्यक्तिगत | कारण | समाधान | तात्कालिक/ दीर्घकालिक |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | रास्ते की समस्या | **सार्वजनिक** | रास्ते के संकट का कारण सरकार की उपेक्षा एवं पंचायत द्वारा भ्रष्टाचार एवं पक्षपातपूर्ण रवैया है। जो सड़क बनाई जाती है वह गुणवत्तापूर्ण नहीं होने से वह दो तीन वर्षों में ही टूट जाती है। कच्चे रास्ते एक बार बना देने के बाद उसकी मरम्मत भी नहीं की जाती है। गाँव के लोगों का रास्ते के लिए जमीन न देना भी रास्ते निर्माण में एक बड़ी बाधा है। | रास्ते के संकट से निपटने के लिए गाँव सभा द्वारा जहां रास्ते नहीं है वहां के लिए प्रस्ताव लिया गया है। ग्राम पंचायत की बैठक में गाँव सभा के अधिक से अधिक लोगों को शामिल करके पंचायत स्तरीय एक्शन प्लान में रास्ते के सभी प्रस्ताव शामिल करने की गाँव सभा ने योजना बनाई है और सतर्कता समिति का भी गठन किया है जो गाँव सभा में होने वाले किसी भी कार्य की निगरानी करेगी तथा रास्ते के बीच में जिन लोगों की जमीन आ रही है उन लोगों से भी सहमति बनाने का प्रयास गाँव सभा द्वारा किया जा रहा है। | **तात्कालिक** |
| 2 | शिक्षा व्यवस्था का ठीक नहीं होना | **सार्वजनिक** | गाँव में बच्चों का शैक्षणिक स्तर बहुत ही खराब है। उन्हें पढ़ाने के लिए न तो अध्यापक हैं और न ही छात्रों के बैठने हेतु कमरे। जो कमरे हैं उनमें से भी चार कमरों की छत से बरसात में पानी टपकता है। बच्चों को शुद्ध पीने के पानी की व्यवस्था भी नहीं है। विद्यालय में जो हैंडपंप है उसमें फ्लोराइड और आयरन पाया जाता | गाँव सभा गठन के बाद गाँव सभा की बैठक करके विद्यालयों में अध्यापकों की नियुक्ति और विद्यालय भवन की मरम्मत तथा पानी की व्यवस्था ठीक करने और आंगनवाड़ी भवन निर्माण तथा उसकी मरम्मत करने के प्रस्ताव लिए गए हैं। | **तात्कालिक** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | है। | गाँव सभा में यह भी निर्णय लिया गया है कि विद्यालय और आंगनवाड़ी की समस्या के समाधान के लिए गाँव सभा द्वारा शिक्षा अधिकारी तथा जिला शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन दिया जाएगा। यह समस्या ब्लॉक के हर गाँव में है इसलिए ब्लॉक के विभिन्न पंचायतों को एक साथ बैठकर इस समस्या से निपटने की योजना तैयार करने का भी निर्णय लिया गया है। | |
| **3** | कृषि समस्या | **सार्वजनिक** | गाँव की कृषि व्यवस्था लगभग प्रकृति पर निर्भर है। उबड़ खाबड़ पथरीली और पहाड़ियों की ढलान वाली जमीन पर जो खेती होती है उसमें उत्पादन भी बहुत ही कम होता है। संकट तब और बढ़ जाता है जब उन्नतशील बीज और खाद भी नहीं मिलती है। गाँव की बहुत सारी जमीन भी बेकार पड़ी हुई है। गाँव से निकलनेवाली नदी में पानी रोकने की कोई व्यवस्था नहीं होने से नदी का सारा पानी निकल जाता है। जिसके लिए गाँव के लोगों के पास कोई योजना नहीं है। | खेत का समतलीकरण। बरसात के पानी को रोकने के लिए नालों पर एनीकट निर्माण और पुराने एनिकट की मरम्मत के अलावा तालाबों का गहरीकरण और मरम्मत खेत तलावड़ी, मेड़बंदी कच्चे डैम निर्माण करके गाँव में सिंचाई के संकट का समाधान किया जा सकता है जिससे पूरे गाँव में कृषि का उत्पादन बढाया जा सकता है, वृक्षारोपण, मछलीपालन करके गाँव के सभी लोगों की आय को बढाया जा सकता है। खेती के साथ-साथ बागवानी पर भी ध्यान देकर और उन्नतशील बीज तथा खाद | **तात्कालिक** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | की उपलब्धता के साथ कृषि जमीन की उर्वराशक्ति को बढ़ाकर उत्पादन में बढ़ोतरी की जा सकती है। जंगल को विकसित करके लघु वनोपज भी लिया जा सकता है जिससे लोगों की आय में बढ़ोतरी हो सकती है। | |
| **4** | काबिज भूमि पर खातेदारी का हक नहीं मिलना | **सार्वजनिक / व्यक्तिगत** | गाँव के लोग सैकड़ों साल से गाँव में बसे हुए हैं जिस भूमि पर वह काबिज है। वह उनकी खातेदारी में दर्ज नहीं है। जमीन का हक नहीं मिलना आदिवासी क्षेत्र में रहने वाले लोगों की सबसे बड़ी समस्या है। जमीन सुधार की योजना सरकार के पास नहीं है। सरकार की अघोषित नीतियों के कारण किसानों को अपनी काबिज भूमि पर अधिकार पत्र देना राजस्व विभाग ने बंद कर दिया है। किसानों में एक प्रकार से भय पैदा हो गया है इसलिए भी खेती की बेहतर योजना बनाने के प्रति उदासीनता व्याप्त है कि सरकार कब उनकी जमीन छीन लेगी! ऐसी आशंका उनको हमेशा सताती रहती है। | गाँव के लोगों ने काबिज भूमि पर पट्टे का दावा तो पहले से कर रखा है, लेकिन उसकी पैरवी के प्रति लोगों में उदासीनता के चलते पट्टे नहीं मिल रहे हैं। गाँव सभा की बैठक में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया है कि गाँव के लोग जितनी भूमि पर काबिज है उसके दावे की फाइल तैयार करके गाँव सभा द्वारा दावा कराया जाएगा और जिनके पट्टे मिल गए हैं उनके नियमन के दावे की भी जिम्मेदारी गाँव सभा द्वारा कराने का निर्णय लिया गया है। जिसके लिए गाँव सभा ने कुछ लोगों को जिम्मेदारी दी है। | **दीर्घकालिक** |
| **5** | आवास/ शौचालय निर्माण और उसके | **व्यक्तिगत** | आवास निर्माण में पंचायत द्वारा पक्षपातपूर्ण रवैया के कारण जरूरतमंद लोगों को आवास नहीं मिल पाता है। जिनका आवास | गाँव सभा ने इस समस्या के समाधान के लिए बैठक में जरूरतमंद लोगों के आवास निर्माण और | **तात्कालिक** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | भुगतान संबंधी समस्या | | निर्माण होता भी है तो उनको घूस के रूप में दस हजार रु. का भुगतान पहले करना पड़ता है। शौचालय के लिए पहले गाँव के लोगों को शौचालय बनाना पड़ता है। फिर भुगतान किया जाता है। उसके लिए भी लोगों को सेवा शुल्क(घूस) देना होता है। सेवा शुल्क देने के बाद भी गाँव के कुछ लोगों को शौचालय का भुगतान नहीं मिला है। | बकाया भुगतान के लिए आवेदन करने की कमेटी बनाकर उसे इसकी जिम्मेदारी दी गई है। | |
| **6** | पेयजल की समस्या | **व्यक्तिगत** | गाँव में गर्मियों के दिनों में लोगों को पीने के पानी के संकट का सामना करना पड़ता है। भू-जल स्तर नीचे चले जाने से ज्यादातर कुएं और हैंडपंप सूख जाते हैं। ट्यूबवेल में भी पानी कम हो जाता है। जिससे उन्हें दूर से पानी लाना पड़ता है। गाँव में बरसात के पानी को रोकने की कोई भी समुचित व्यवस्था नहीं होने से संकट लगातार बढ़ रहा है। | बरसात के पानी को पूरे वर्ष नदी नाले और तालाब में रोकने की योजना बनाना बरसात के पानी को फिल्टर करके पीना और बोरवेल से पानी निकालने पर नियंत्रण। | **तात्कालिक** |

**संसाधन आंकलन व SWOT विश्लेषण**

| S- Strengths<br>शक्तियां | W- Weakness<br>कमजोरी | O- Opportunities<br>अवसर | T- Threats<br>चुनौतियां |
|---|---|---|---|
| **आवागमन -**<br>गाँव में पक्की सड़कें<br>कच्चे रास्ते | कच्चे रास्ते को आर.सी.सी. नहीं करना। पगडंडी को चौड़ा नहीं करना। रास्ते बनाने में होने वाला भूमि विवाद। | रास्ते ठीक होने से गाँव में साधन आ जा सकते हैं जिससे छोटे मोटे व्यवसाय किए जा सकते हैं। लोगों को आने जाने में समय की बचत होगी। | गाँव कमेटियों का मजबूत ना होना।<br>सरकार तथा पंचायत की उदासीनता और व्याप्त भ्रष्टाचार तथा गाँव के लोगों में जागरूकता की कमी। |
| **जल**<br>नाला | गाँव से निकलने वाली नाले पर एक एनीकट | पुराने एनीकट की मरम्मत और नए | पंचायत द्वारा इस चुनौती से निपटने को |

| | | | |
|---|---|---|---|
| एनीकट<br>कुआं<br>बोरवेल<br>हैंड पंप<br>नदी | बना हुआ है। उस एनीकट में से भी पानी रिसकर निकल जाता है। पहाड़ों के दर्रे में एनीकट नहीं बनाना।<br>कुओं को रिचार्ज नहीं करना।<br>गाँव के तालाबों की मरम्मत और गहरीकरण नहीं करना।<br>गाँव में जल की कमी ना हो इसके लिए गाँव के लोगों की जागरूकता में कमी। | एनिकट बनाना।<br>गाँव के तालाब का गहरीकरण और मरम्मत करके तथा बरसात के पानी को योजनाबद्ध तरीके से अगर रोका जाए तो गाँव में पानी के संकट को दूर किया जा सकता है जिससे सिचाई और अशुद्ध पीने के पानी के संकट को दूर किया जा सकता है और भू-जल स्तर को भी ऊँचा किया जाता हैं। | कोई कार्ययोजना नहीं होना।<br>गाँव के लोगों की उदासीनता।<br>साथ ही साथ जल संरक्षण की चल रही योजनाओं की जानकारी का अभाव। |
| **आजीविका संवर्द्धन**<br>कृषिभूमि<br>पशुपालन<br>मछलीपालन | वन को गाँव सभा के अधिकार में लेने के प्रति उदासीनता। खेत समतलीकरण योजना को पंचायत से लेने के प्रति उदासीनता। चारागाह पर गाँव के लोगों का अवैध कब्जे के कारण चारे की कमी तथा चारागाह की खाली जमीन पर चारे के प्रबंधन के प्रति उदासीनता। पशुपालन के प्रति उदासीनता। सब्जी की खेती हेतु सिंचाई की व्यवस्था का अभाव। मछलीपालन न करना। | लघु वन उपज, गौण खनिज, दूध व्यवसाय भेड़ और बकरी पालन, मुर्गीपालन, मधुमक्खी पालन और सब्जी की खेती की जा सकती है। गाँव के जंगल में फलदार और इमारती लकडियों का वृक्षारोपण कर के लघु वन उपज प्राप्त किया जा सकता है। खेत का समतलीकरण करके और सिंचाई के साधनों की व्यवस्था कर के कृषि उपज बढाई जा सकती है। पशु पालन के लिए चारागाह की जमीन पर चारे की व्यवस्था और उन्नतशील नस्ल के दुधारू जानवरों की व्यवस्था। भेड़, बकरी | खेती के लिए उन्नतशील बीज और सिंचाई के साधनों का अभाव। उन्नत नस्ल के पशुओ का अभाव। वन पर सामुदायिक दावा पत्र न मिलना। मछलीपालन करना। |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | और मुर्गी पालन। सब्जी की खेती | |
| **भूमि** | गाँव की खाली पड़ी जमीन और पहाड़ों का जीविका के साधन के रूप में प्रयोग नहीं होना। गाँव की सार्वजनिक जमीन पर कुछ लोगों का अवैध कब्जा। सभी लोगों के पास पर्याप्त खेती की जमीन नहीं होना। | खेती की जमीन की उर्वरा शक्ति को बढ़ाना। जीविका के साधन के रूप में गौण खनिज को निकलवाना। गाँव की सार्वजनिक जमीन पर अवैध कब्जे को खाली कराना। खाली पड़ी जमीन पर वृक्षारोपण करवाना। जंगल को फिर से हराभरा करना। | सभी लोगों के पास पर्याप्त जमीन का अभाव। सार्वजनिक जमीन पर अवैध कब्जा सिंचाई का अभाव खाली पड़ी जमीन के बेहतर उपयोग की योजना का अभाव। |

**गाँव सभा द्वारा तैयार गाँव का नजरिया नक्शा -**

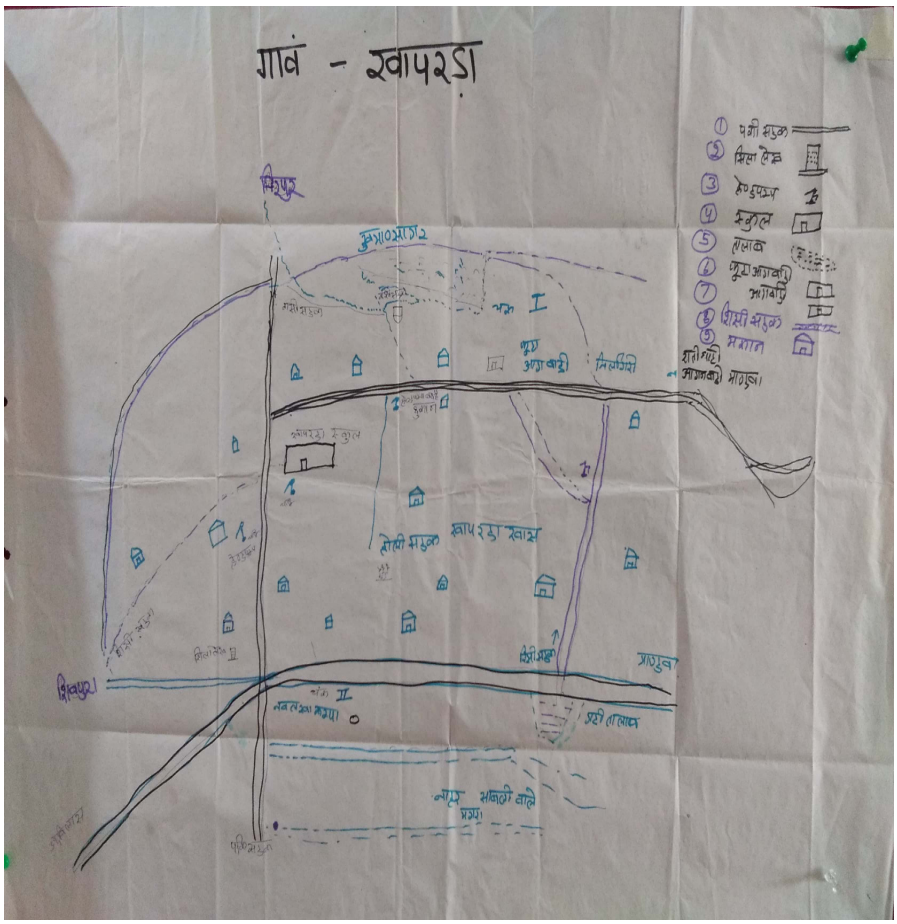

**गाँव सभा द्वारा तैयार गाँव विकास योजना में प्रस्तावित कार्यो का विवरण -**

| क्र. सं. | प्रस्तावित कार्य | संख्या |
|---|---|---|
| 1 | पेंशन के संबंध में | |
| | पेंशन वृद्धा पेंशन | 1 |
| | पालनहार योजना | 2 |
| 2 | प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री आवास के संबंध में | 43 |
| 3 | शौचालय निर्माण के संबंध में | 7 |
| | भुगतान ठेकेदार ने काम अधूरा छोड़ दिया है | 6 |
| | भुगतान बाकी | 5 |
| 4 | स्कूल के संबंध में<br>अध्यापकों की नियुक्ति | 1 |
| 5 | राशन की दुकान खोलने के संबंध में | 1 |
| 6 | उप स्वास्थ्य केंद्र खोलने के संबंध में<br>बंसी पिता गट्टू रोड के घर के पास | 1 |
| 7 | सामाजिक विवाद निपटारा करने के संबंध में | 1 |
| 8 | सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने के संबंध में<br>डायन प्रथा पर रोक<br>मौताणा प्रथा पर रोक<br>बाल विवाह पर रोक<br>बाल श्रम पर रोक | 1 |
| 9 | मां बाड़ी केंद्र खोलने के संबंध में<br>बंसी पिता गट्टू रोड वार्ड नंबर 2 के घर के पास | 1 |
| 10 | तालाब मरम्मत के संबंध में<br>गहरीकरण<br>पाल की ऊंचाई<br>रिंग वाल | 1 |
| 11 | एनिकट मरम्मत के संबंध में<br>फूटा है एनिकट मरम्मत और 5 फीट ऊंचाई बढ़ाना(निर्माण)<br>लालू राम पिता नवला रोत(लम्बाई 100 फीट, ऊंचाई 6 फीट) | 1 |
| 12 | चेक डैम निर्माण के संबंध में | 5 |
| 13 | हैंडपंप के संबंध में | |
| | हैंड पंप नए | 9 |
| | पुराने हैंडपंप की मरम्मत | 3 |
| 14 | कैटेगरी 4 के काम | 27 |

| | | |
|---|---|---|
| | खेत समतलीकरण<br>मेड़बंदी<br>कुआं निर्माण/गहरीकरण<br>खेत तलावडी<br>पशु बाड़ा के संबंध में | |
| **15** | R.O. प्लांट लगाने के संबंध में | |
| | भंवर पिता मावा वादी के घर के पास (लाभार्थी परिवार 30) | 1 |
| | खापरड़ा विद्यालय के सामने (लाभार्थी परिवार 50) | 1 |
| | सवजी पिता वीर जी रोत के दुकान के पास(लाभार्थी परिवार 60) | 1 |
| | प्रकाश पिता मरता रोड के घर के पास(लाभार्थी परिवार 60) | 1 |
| | फूटा आंगनवाड़ी के पास तो परिवार(लाभार्थी परिवार 100) | 1 |
| **16** | वृक्षारोपण के संबंध में(तीन स्थान पर) | 1 |
| **17** | श्मशान घाट मरम्मत के संबंध में | 1 |
| **18** | रास्ता निर्माण के संबंध में | |
| | सवजी पिता वीर जी रोत के घर से श्मशान घाट तक<br>सी.सी. सड़क | 1 |
| **19** | चरागाह भूमि में काबिज लोगों को अधिकार पत्र देने के संबंध में (परिवार हैं जो 150 वर्ष से वहां रह रहे हैं) | 39 |
| **20** | काबिज भूमि पर व्यक्तिगत दावा गांव सभा की तरफ से करने के संबंध में | 1 |

**गाँव विकास नियोजन प्रक्रिया - फोटो गैलेरी**

**प्रस्ताव लिखते हुए गाँव वासी - खापरडा**

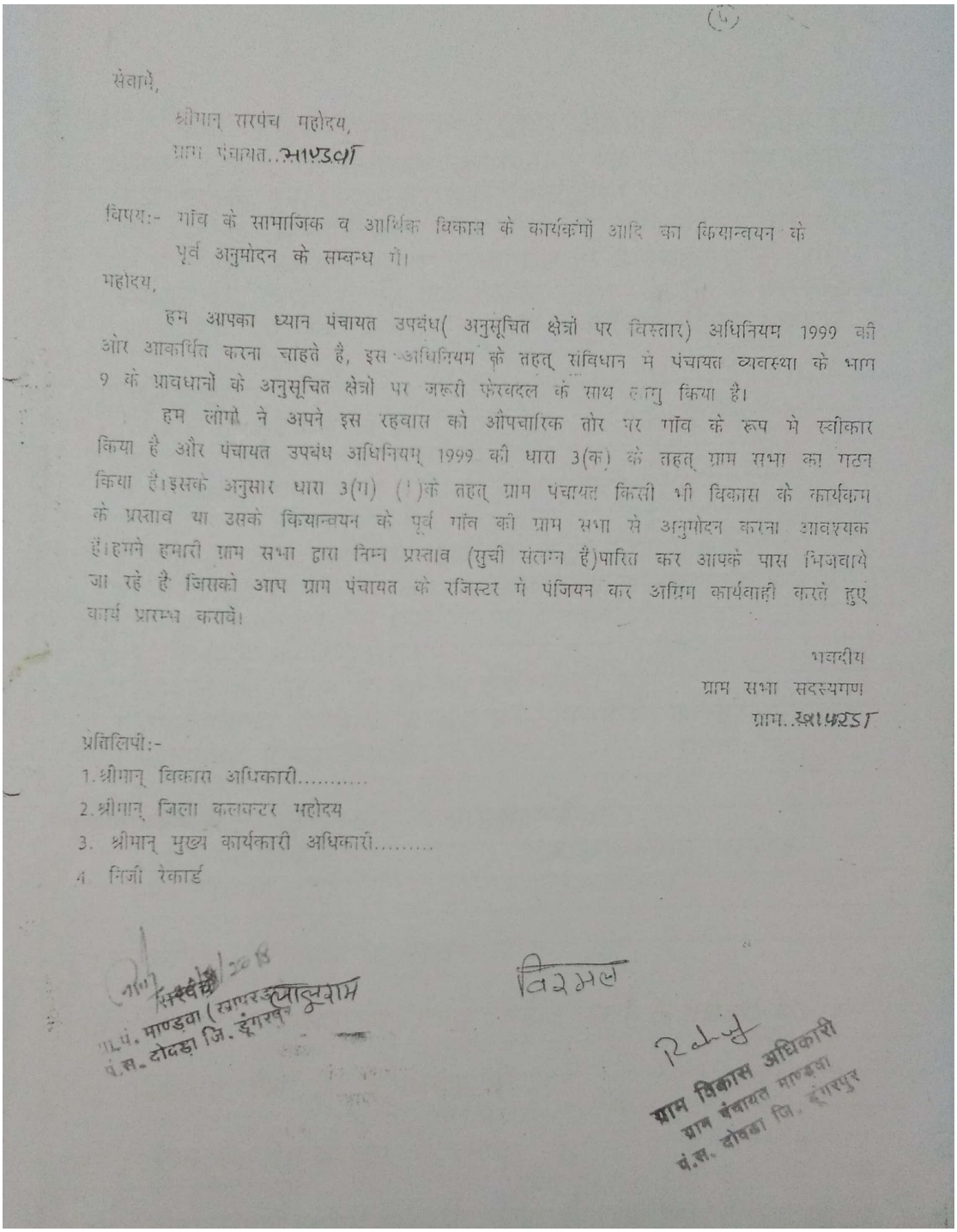

सेवामें,

श्रीमान् सरपंच महोदय,

ग्राम पंचायत..माण्डवा

विषय:- गाँव के सामाजिक व आर्थिक विकास के कार्यक्रमों आदि का कियान्वयन के पूर्व अनुमोदन के सम्बन्ध में।

महोदय,

हम आपका ध्यान पंचायत उपबंध( अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम 1999 की ओर आकर्षित करना चाहते है, इस अधिनियम के तहत् संविधान में पंचायत व्यवस्था के भाग 9 के प्रावधानों के अनुसूचित क्षेत्रों पर जरूरी फेरबदल के साथ लागु किया है।

हम लोगो ने अपने इस रहवास को औपचारिक तोर पर गाँव के रूप मे स्वीकार किया है और पंचायत उपबंध अधिनियम् 1999 की धारा 3(क) के तहत् ग्राम सभा का गठन किया है।इसके अनुसार धारा 3(ग) (1)के तहत् ग्राम पंचायत किसी भी विकास के कार्यक्रम के प्रस्ताव या उसके कियान्वयन के पूर्व गाँव की ग्राम सभा से अनुमोदन करना आवश्यक है।हमने हमारी ग्राम सभा द्वारा निम्न प्रस्ताव (सुची संलग्न हैं)पारित कर आपके पास भिजवाये जा रहे है जिसको आप ग्राम पंचायत के रजिस्टर मे पंजियन कर अग्रिम कार्यवाही करते हुए कार्य प्रारम्भ करावे।

भवदीय

ग्राम सभा सदस्यगण

ग्राम..खाखरडा

प्रतिलिपी:-

1. श्रीमान् विकास अधिकारी..........
2. श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय
3. श्रीमान् मुख्य कार्यकारी अधिकारी.........
4. निजी रेकार्ड

सरपंच
ग्रा.पं. माण्डवा (खाखरडा)
पं.स. दोवड़ा जि. डूंगरपुर

विरमल

ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत माण्डवा
पं.स. दोवड़ा जि. डूंगरपुर

**प्रस्ताव कवरिंग**

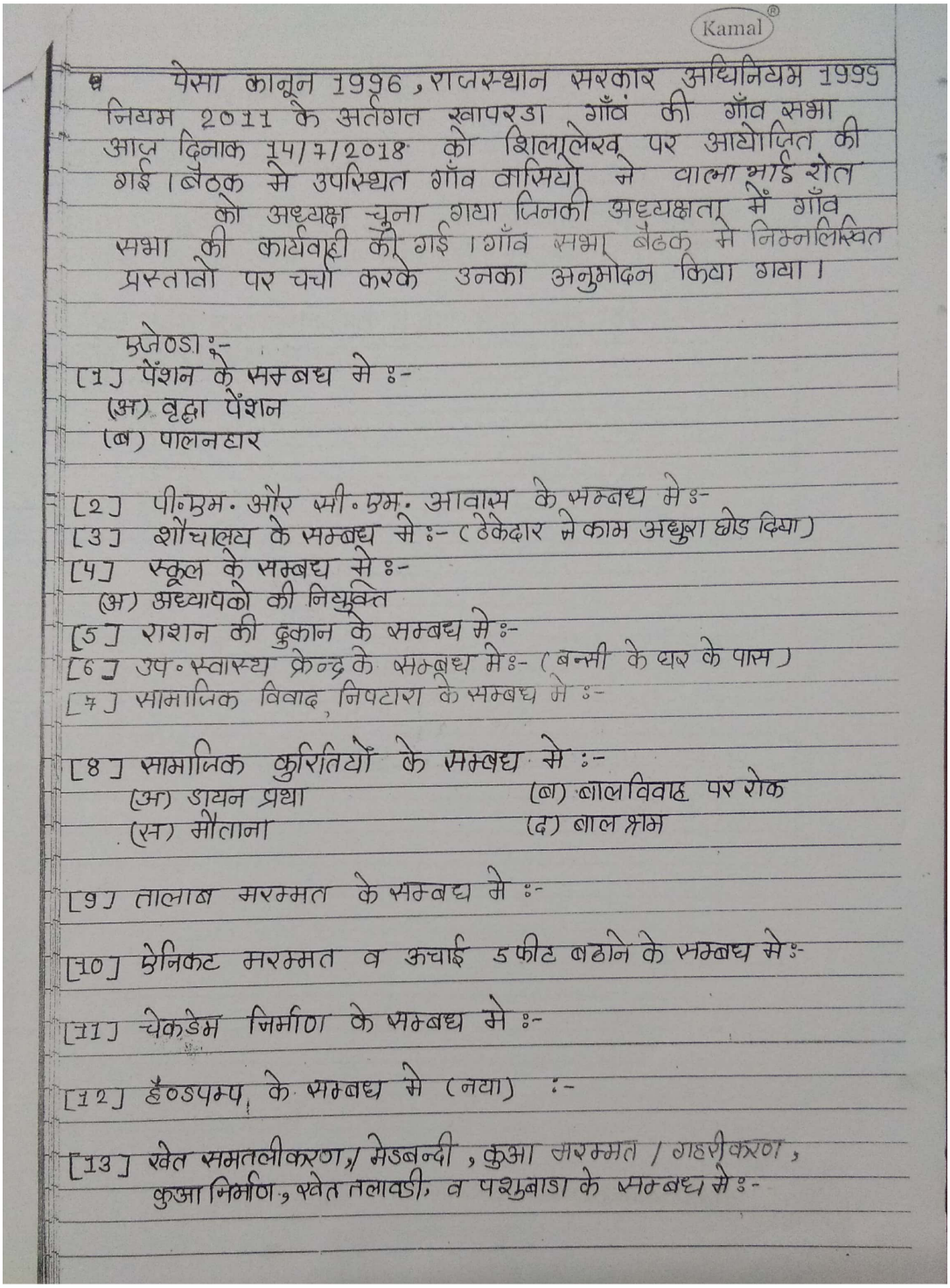

पेसा कानून 1996, राजस्थान सरकार अधिनियम 1999 नियम 2011 के अंतर्गत खापरडा गाँव की गाँव सभा आज दिनाक 14/7/2018 को शिलालेख पर आयोजित की गई। बैठक मे उपस्थित गाँव वासियो ने वालाभाई रोत को अध्यक्ष चुना गया जिनकी अध्यक्षता में गाँव सभा की कार्यवाही की गई। गाँव सभा बैठक मे निम्नलिखित प्रस्तावो पर चर्चा करके उनका अनुमोदन किया गया।

प्रस्ताव :-

[1] पेंशन के सम्बध मे :-
(अ) वृद्धा पेंशन
(ब) पालनहार

[2] पी.एम. और सी.एम. आवास के सम्बध मे :-

[3] शौचालय के सम्बध मे :- (ठेकेदार ने काम अधुरा छोड दिया)

[4] स्कूल के सम्बध मे :-
(अ) अध्यापको की नियुक्ति

[5] राशन की दुकान के सम्बध मे :-

[6] उप.स्वास्थ्य क्रेन्द्र के सम्बध मे :- (बन्नी के घर के पास)

[7] सामाजिक विवाद निपटारा के सम्बध मे :-

[8] सामाजिक कुरितियों के सम्बध मे :-
(अ) डायन प्रथा (ब) बालविवाह पर रोक
(स) मौताना (द) बाल श्रम

[9] तालाब मरम्मत के सम्बध मे :-

[10] डेनिकट मरम्मत व ऊचाई 5 फीट बढाने के सम्बध मे :-

[11] चेकडेम निर्माण के सम्बध मे :-

[12] हैण्डपम्प के सम्बध मे (नया) :-

[13] खेत समतलीकरण, मेडबन्दी, कुआ मरम्मत / गहरीकरण, कुआ निर्माण, खेत तलावडी, व पशुबाडा के सम्बध मे :-

**प्रस्ताव प्रथम पेज**

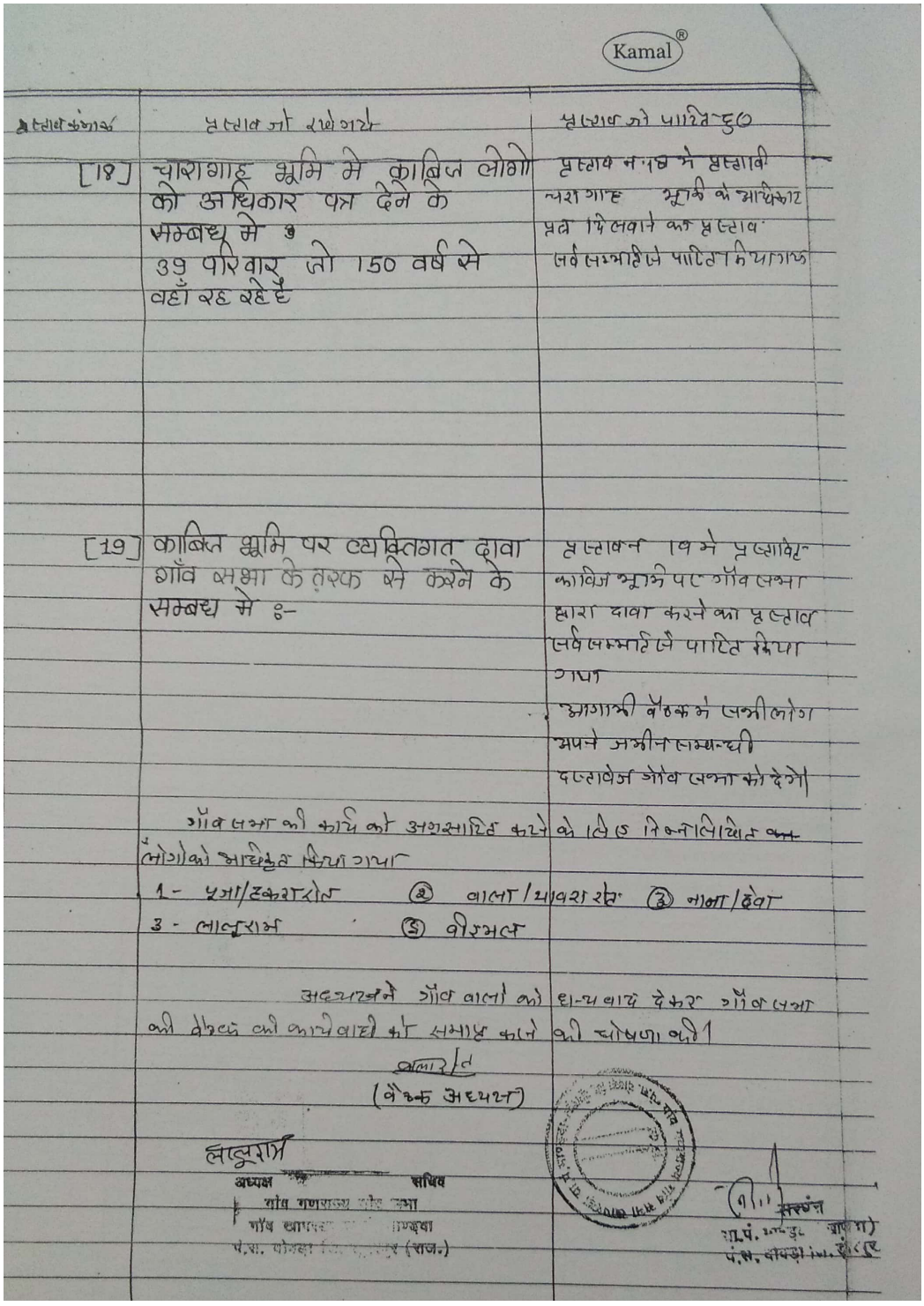

Kamal®

| प्रस्ताव क्रमांक | प्रस्ताव जो रखे गये | प्रस्ताव जो पारित हुए |
|---|---|---|
| [18] | चारागाह भूमि मे काबिज लोगो को अधिकार पत्र देने के सम्बध्य मे : 39 परिवार जो 150 वर्ष से वहाँ रह रहे है | प्रस्ताव नं 18 मे प्रस्तावी चरागाह भूमि के अधिकार पत्र दिलवाने का प्रस्ताव सर्व सम्मति से पारित किया गया |
| [19] | काबिज भूमि पर व्यक्तिगत दावा गाँव सभा के तरफ से करने के सम्बध्य मे :- | प्रस्ताव नं 19 मे प्रस्तावित काबिज भूमि पर गाँव सभा द्वारा दावा करने का प्रस्ताव सर्व सम्मति से पारित किया गया आगामी बैठक मे सभी लोग अपने जमीन सम्बन्धी दस्तावेज गाँव सभा को देंगे |

गाँव सभा की कार्य को अनुसारित करने के लिए निम्नलिखित लोगो को अधिकृत किया गया

1- पूजा/हकराराोत ② बाला/पावरा रोत ③ नाना/देवा
3- लालूराम ⑤ वीरमल

अध्यक्ष ने गाँव वालो को धन्यवाद देकर गाँव सभा की बैठक की कार्यवाही को समाप्त करने की घोषणा की।

बालारोत
(बैठक अध्यक्ष)

लालूराम
अध्यक्ष सचिव
गाँव गणराज्य गाँव सभा
गाँव ... ... ...
पं.स. ... ... (राज.)

सरपंच
ग्रा.पं. ... ... )
पं.स. ... ...

**प्रस्ताव अंतिम पेज**

**विलेज प्लानिंग फेसिलिटेटर टीम (वीपीएफटी) -**

| क्र. | नाम | फोन न. |
|---|---|---|
| 1 | देवीलाल अहारी | 9784018023 |
| 2 | लालुराम/नवजी रोत | 9784899219 |
| 3 | कमलराम/लेम्बा जी | 8290074696 |
| 4 | मोगी/भेरूलाल | |
| 5 | बन्नी/हुरजी | |
| 6 | अमुड़ी /जीवा | |
| 7 | हुन्की देवी/नानालाल रोत | |
| 8 | पूंजा रोत | 9950016427 |
| 9 | गौतम लाल रोत | 9799712257 |